

स्थापना उप जिलाधिकारी करुणा, झारखण्ड।
 वाच सं० 16 कां० 07-08 अन्तर्गत धारा 143 के अन्तर्गत
 मीजा पंवर परगना अरैल तहसील करुणा जिला झारखण्ड।
 वात्सल्य जन कल्याण समिति धनाम गाविस

संख्या निम्न 27-12-07

प्रस्तुत वाच वात्सल्य जन कल्याण समिति द्वारा सविष हटो नीरज अर्जुन
 पुत्र श्री टी०डी अग्रवाल निवासी 618 एलिन रोड जिला झारखण्ड ने गाविस
 पंवर परगना अरैल तहसील करुणा जिला झारखण्ड को प्रतिवादी बनाते हुए प०
 वि० 143 के अन्तर्गत इस कथन के साथ योजित किया है कि वह
 विवाहित भूमि को जरिये पंजीकृत किया गया है और वर्तमान समय में वादी
 विवाहित भूमि का संक्रमण भूमिधर व का कियेवाला कार्रवार है। यह कि वि-
 वाहित भूमि में कृषि कार्य न करके अब शिक्षा संस्थान हेतु धन का निमण करना
 चाहता है और विवाहित भूमि में चारों ओर से घाउन्ही बना लिया है जो आवा-
 दी की हानि में है। अंत में याचना किया है कि विवाहित भूमि को आवादी घो-
 षित करते हुए कागजात सरकारी पुस्तक कराया जाय। साथ में उल्लेख कर्तनी कां
 1408 लगायत 1413 का घोषित किया है।

नियमानुसार तहसीलदार करुणा से स्थगित पांच करायी गयी। क्षेत्रीय
 लेखपाल/राजनि/ना०तह० ने अपनी आख्या में उल्लिखित किया है कि विवाहित
 भूमि बाहन्ही से घिरी हुयी है और खेती नहीं हो रही है जो अकुक्षि भूमि है कि-
 से तहसीलदार करुणा ने दिनांक 24. 12. 07 को सम्बोधित किया है, नियत प्रारूप
 पर संलग्न पत्रावली है।

वाद पंजीकृत करके प्रतिवादी को नोटिस निर्गत की गयी। कोई आपत्ति
 नहीं आयी। अने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तहसीलदार करुणा की आख्या
 दिनांक 24. 12. 07 को अक्लोन किया। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पंवर परगना
 अरैल तहसील करुणा जिला झारखण्ड की कर्तनी कां 1408 लगायत 1413 का
 अक्लोन से स्पष्ट है कि वादी विवाहित भूमि का संक्रमण कार्रवार है।
 क्षेत्रीय लेखपाल/राजनि/ना०तह० एवं तहसीलदार करुणा की आख्या से स्पष्ट है कि
 विवाहित भूमि चारों ओर से घाउन्ही से घिरी हुयी है और कृषि कार्य नहीं हो
 रहा है अकुक्षि है। ऐसी स्थिति में विवाहित भूमि को लगान मुक्त करते
 हुए अकुक्षि घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर वादा वादी स्वीकार किया जाता
 है और आदेश कि ग्राम पंवर परगना अरैल तहसील करुणा जिला झारखण्ड
 की आख्या संख्या 438 गाटा संख्या 10/0-070, 11/0-080, 103/0-114, 103
 ग/0-598, 10/0-081, 114/2-763, 5/0-068, 7/0-023, 12/0-034, 13/
 0-034, 11/0-910, 15/0-125, 17/0-040 हेतु चकदर कुल तथा गाटा संख्या 438
 गाटा संख्या 8/0-183, 9/0-068 हेतु का 2/3 भाग यानी कुल रकबा 4-3660 हेतु
 लगान 60 के अनुसार, को लगान मुक्त करते हुए अकुक्षि घोषित किया जाता है।
 तदनुसार परगना अरैल परगना अरैल ही। वाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली रा-
 जस्व अधिकारी में संचित की जाय।

दिनांक: 27-12-2007

URGENT
 No-122

प्रमोद शंकर
 उप जिलाधिकारी
 करुणा, झारखण्ड।

प्रतिलिपि

(सिहर) 27/12/07

स्थापना उप जिलाधिकारी
 करुणा झारखण्ड

1. कार्यवाही पत्र
2. कलम बनाने
3. तुल्यकर्ता
4. स्टाम्प रफ
5. शब्द

जिलाधिकारी
 करुणा झारखण्ड